**बिहार सरकार**
**स्वास्थ्य विभाग**

**अधिसूचना**

सं0सं0–1/पा0मे0–19/2022–496(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 6 / 7 /2023

स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–1028(1), दिनांक–31.12.05 द्वारा आख्यापित बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय आदेश संख्या–1103(1), दिनांक–26.12.2022 द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में उषा एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, पटना द्वारा प्रस्तावित श्री साईं कॉलेज ऑफ नर्सिंग एण्ड पारामेडिकल, ए–98, लोहिया नगर, पंच शिव मंदिर के सामने, कंकड़बाग, पटना (बिहार) को निम्नांकित पारा मेडिकल डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों को वर्तमान सत्र 2023–24 से संचालित करने की अनुमति निम्नलिखित शर्त्तों के अधीन प्रदान की जाती है–

| क्र0 सं0 | पाठ्यक्रम का नाम | सीटों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर | 60 (साठ) सीट |
| 2 | डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नीशियन | 60 (साठ) सीट |
| 3 | डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट | 60 (साठ) सीट |

साथ ही, निम्न डिग्री पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र अंकित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है–

| क्र0 सं0 | पाठ्यक्रम का नाम | सीटों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी | 60 (साठ) सीट |
| 2 | बैचलर ऑफ आकुपेशनल थेरापी | 60 (साठ) सीट |
| 3 | बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी | 60 (साठ) सीट |
| 4 | बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नोलॉजी | 60 (साठ) सीट |
| 5 | बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट | 60 (साठ) सीट |

2– स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–1028(1), दिनांक–31.12.05 द्वारा आख्यापित बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली, 2005 में निर्धारित शर्त्तों का अनुपालन उषा एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, पटना द्वारा प्रस्तावित श्री साईं कॉलेज ऑफ नर्सिंग एण्ड पारामेडिकल, ए–98, लोहिया नगर, पंच शिव मंदिर के सामने, कंकड़बाग, पटना (बिहार) के द्वारा किया जायेगा।

3– संस्थान द्वारा बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सम्बद्धता प्राप्त करने के उपरान्त ही पारा मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम में नामांकन लिया जायेगा।

4– संस्थान अपने कार्यरत सभी फैकल्टी/कर्मियों के वेतन का भुगतान आधार सीडेड बैंक एकाउण्ट के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करेगी।

क्रमशः

5– बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली, 2005 के नियम–5(ii) के आलोक में संस्थान को प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर तक रुपये 5,000/–(रुपये पाँच हजार) का शुल्क सामान्य वार्षिक जाँच के लिए जमा करना अनिवार्य होगा।

6– सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत नियम/परिनियम का पालन संस्थान द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

7– भविष्य में संस्थान के विरुद्ध कोई आपत्तिजनक बात जाँचोपरान्त पाई जायेगी तो वैसी स्थिति में सरकार संस्थान की मान्यता वापस ले लेगी।

8– संस्थान द्वारा पारा मेडिकल विषयों में निर्गत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र पर सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य का हस्ताक्षर प्राप्त करना होगा।

9– इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/- 04.7.23
**(सुधीर कुमार)**
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–1/पा0मे0–19/2022–496(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 6 / 7 /2023

**प्रतिलिपिः**– प्रभारी पदाधिकारी, 'ई' गजट कोषाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**– परीक्षा नियत्रंक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, आई0ए0एस0 एसोसिएशन भवन, हवाई अड्डा के नजदीक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**– कुलसचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पुराना बस स्टैण्ड के नजदीक, मीठापुर, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**– निदेशक, श्री साईं कॉलेज ऑफ नर्सिंग एण्ड पारामेडिकल, ए–98, लोहिया नगर, पंच शिव मंदिर के सामने, कंकड़बाग, पटना (बिहार)–800020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**– माननीय उप मुख्य (स्वास्थ्य) मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/अपर निदेशक (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/परीक्षा नियंत्रक, बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल एक्जामिनेशन कमिटी, नालन्दा मेडिकल कॉलेज कैम्पस, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**– प्रशाखा पदाधिकारी–1, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 04.7.23
सरकार के संयुक्त सचिव